

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**  
**मांग संख्या 58**  
**उच्चतर शिक्षा विभाग**

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	
	9596.00	5833.00	15429.00	7852.00	6437.00	14289.00	10996.00	5694.00	16690.00	
	...	...	...	100.00	...	100.00	...	...	...	
	<b>9596.00</b>	<b>5833.00</b>	<b>15429.00</b>	<b>7952.00</b>	<b>6437.00</b>	<b>14389.00</b>	<b>10996.00</b>	<b>5694.00</b>	<b>16690.00</b>	
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	2251	3.00	73.25	76.25	3.00	71.34	74.34	3.00	72.90	75.90
2. विवेकाधीन अनुदान	2013	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04
<b>विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा</b>										
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग घटाइए-सामाजिक अवसंरचना विकासनिधि से पूरी की गई राशि	2202	3917.04	3449.61	7366.65	3244.02	3977.78	7221.80	3885.00	3450.86	7335.86
	2202	...	...	...	-87.08	...	-87.08	...	...	...
	<i>निवल</i>	3917.04	3449.61	7366.65	3156.94	3977.78	7134.72	3885.00	3450.86	7335.86
4. विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार	3601	...	250.01	250.01	...	215.01	215.01	...	250.01	250.01
5. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	2202	22.50	26.00	48.50	22.50	29.05	51.55	25.20	26.90	52.10
6. भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	2202	4.05	9.46	13.51	4.05	9.46	13.51	4.95	7.86	12.81
7. ग्रामीण विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद्	2202	2.30	1.20	3.50	2.30	1.40	3.70	3.61	1.27	4.88
8. भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला	2202	2.70	7.06	9.76	2.70	6.57	9.27	3.33	6.96	10.29
9. भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद	2202	2.70	3.30	6.00	2.70	3.90	6.60	3.59	3.72	7.31
10. शास्त्री भारत-कनाडाई संस्थान	2202	...	2.77	2.77	...	2.77	2.77	...	2.77	2.77
11. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान	2202	1.90	...	1.90	...	...	...	...	...	...
12. शैक्षिक ऋण संबंधी ब्याज सब्सिडी	2202	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	500.00	...	500.00
13. न्यायाधिकरण प्रत्यायन प्राधिकरण, एनसीएचईआर और राष्ट्रीय वित्त निगम	2202	...	...	...	...	...	...	40.00	...	40.00
14. अन्य कार्यक्रम	2202	3.85	2.60	6.45	1.85	3.19	5.04	1.59	3.27	4.86
<b>जोड़-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा दूरस्थ शिक्षा</b>		<b>3957.14</b>	<b>3752.01</b>	<b>7709.15</b>	<b>3193.14</b>	<b>4249.13</b>	<b>7442.27</b>	<b>4467.27</b>	<b>3753.62</b>	<b>8220.89</b>
15. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	2202	81.00	1.00	82.00	81.00	1.00	82.00	90.00	1.00	91.00
16. कामनवेल्थ ऑफ लर्निंग	2202	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00
17. गैर हिन्दी भाषी राज्यों/सं.रा.क्षे. के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति एवं अन्य छात्रवृत्तियां	2202	...	0.82	0.82	...	1.01	1.01	...	0.92	0.92
	3601	...	1.41	1.41	...	1.41	1.41	...	1.41	1.41
	3602	...	0.08	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08	0.08
	<i>जोड़</i>	...	2.31	2.31	...	2.50	2.50	...	2.41	2.41
18. कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति	2202	99.00	...	99.00	63.00	...	63.00	108.00	...	108.00
<b>जोड़-दूरस्थ शिक्षा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी</b>		<b>180.00</b>	<b>7.31</b>	<b>187.31</b>	<b>144.00</b>	<b>7.50</b>	<b>151.50</b>	<b>198.00</b>	<b>7.41</b>	<b>205.41</b>
19. आई सी टी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	2202	810.00	...	810.00	280.00	...	280.00	810.00	...	810.00
<b>जोड़ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी भाषा विकास</b>		<b>810.00</b>	<b>...</b>	<b>810.00</b>	<b>280.00</b>	<b>...</b>	<b>280.00</b>	<b>810.00</b>	<b>...</b>	<b>810.00</b>
20. हिन्दी निदेशालय	2202	9.00	11.05	20.05	9.00	10.82	19.82	9.00	10.44	19.44
21. वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग	2202	4.50	2.85	7.35	4.50	2.83	7.33	4.50	2.70	7.20
22. केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल	2202	6.75	12.50	19.25	6.75	14.83	21.58	7.20	12.61	19.81
23. राष्ट्रीय उर्दुभाषा संवर्धन परिषद	2202	17.10	...	17.10	17.10	...	17.10	18.00	...	18.00
24. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान और क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	<i>जोड़</i>	28.20	10.13	38.33	28.20	11.75	39.95	33.90	10.77	44.67

मुख्य शीर्ष	(करोड़ रुपए)									
	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
25. राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद	2202	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	2.00	...	2.00
26. आधुनिक भारतीय भाषाएं	2202	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	...	0.75	0.75	...	0.75	0.75	...	...	...
	जोड़	...	0.75	0.75	...	0.75	0.75	...	...	...
27. सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल (सीआईएसटी), चेन्नै	2202	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	16.00	...	16.00
28. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	2202	37.00	29.32	66.32	37.00	33.00	70.00	36.00	31.72	67.72
29. राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान	2202	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	10.80	...	10.80
30. मानव मूल्यों में शिक्षा जोड़ - भाषा विकास सामान्य	2202	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70
		<b>133.75</b>	<b>66.60</b>	<b>200.35</b>	<b>133.75</b>	<b>73.98</b>	<b>207.73</b>	<b>140.10</b>	<b>68.24</b>	<b>208.34</b>
31. पुस्तक संवर्धन	2202	11.70	14.70	26.40	11.70	17.89	29.59	12.60	16.41	29.01
32. भारतीय राष्ट्रीय आयोग/यूनेस्को	2202	7.00	11.81	18.81	7.00	11.90	18.90	11.10	11.83	22.93
33. आयोजना मानदण्ड	2202	9.00	10.80	19.80	9.00	12.75	21.75	9.90	11.04	20.94
34. प्रशासन	2202	...	6.46	6.46	...	5.76	5.76	...	6.99	6.99
		<b>27.70</b>	<b>43.77</b>	<b>71.47</b>	<b>27.70</b>	<b>48.30</b>	<b>76.00</b>	<b>33.60</b>	<b>46.27</b>	<b>79.87</b>
<b>जोड़-सामान्य शिक्षा तकनीकी शिक्षा</b>		<b>5108.59</b>	<b>3869.69</b>	<b>8978.28</b>	<b>3778.59</b>	<b>4378.91</b>	<b>8157.50</b>	<b>5648.97</b>	<b>3875.54</b>	<b>9524.51</b>
35. सामुदायिक पालिटेक्निक्स	2203	141.30	...	141.30	56.51	...	56.51	144.00	...	144.00
36. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	685.50	919.57	1605.07	685.50	980.26	1665.76	774.00	825.66	1599.66
37. छात्रवृत्तियां/एपरेन्टिसशिप प्रशिक्षण	2203	34.00	18.22	52.22	38.00	18.22	56.22	37.49	18.22	55.71
38. भारतीय प्रबंध संस्थान,	2203	78.00	42.71	120.71	78.00	42.71	120.71	74.80	34.00	108.80
39. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	2203	75.00	149.00	224.00	75.00	170.28	245.28	80.00	141.43	221.43
40. अंपगों के लिए पालिटेक्नीक	2203	3.60	...	3.60	3.60	...	3.60	3.60	...	3.60
41. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्वालियर	2203	18.00	6.80	24.80	18.00	6.80	24.80	20.00	7.29	27.29
42. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	2203	48.00	7.25	55.25	48.00	7.25	55.25	30.00	5.72	35.72
43. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर	2203	26.00	...	26.00	41.00	...	41.00	30.00	...	30.00
44. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, (डी एंड एम) कांचीपूरम	2203	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
45. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुम्बई	2203	37.00	33.00	70.00	37.00	23.00	60.00	37.00	28.69	65.69
46. राष्ट्रीय फोर्ज और फाउंड्री प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	10.00	8.57	18.57	10.00	12.00	22.00	12.00	9.97	21.97
47. योजना और वास्तुशिल्प विद्यालय, दिल्ली	2203	8.00	11.04	19.04	8.00	18.00	26.00	9.00	16.32	25.32
48. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर)	2203	27.00	48.52	75.52	27.00	48.52	75.52	27.00	36.71	63.71
49. संत लॉगोवाल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	15.00	18.97	33.97	15.00	29.00	44.00	15.00	20.36	35.36
50. आई.एस.एम., धनबाद	2203	85.00	43.00	128.00	85.00	43.00	128.00	89.00	33.47	122.47
51. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड	2203	2.00	7.10	9.10	2.00	7.60	9.60	3.00	6.96	9.96
52. भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (ईएपी)	2203	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	219.98	...	219.98
	3601	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
	3602	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
	जोड़	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	220.00	...	220.00
53. केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार	2203	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
54. भारतीय नवीन सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	54.00	...	54.00	0.99	...	0.99	14.00	...	14.00
55. नवीन योजना और वास्तुशिल्प विद्यालय	2203	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	24.00	...	24.00
56. इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय	2203	...	25.00	25.00	...	22.50	22.50	...	25.00	25.00
57. नए आईआईटी की स्थापना (पहले तीन नए आईआईटी की स्थापना करना)	2203	400.00	...	400.00	300.00	...	300.00	400.00	...	400.00

मुख्य शीर्ष	(करोड़ रुपए)									
	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
58. भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	2203	215.00	...	215.00	215.00	...	215.00	300.00	...	300.00
59. मौजूदा पोलिटेक्निकों के उन्नयन/नए पोलिटेक्निकों की स्थापना	2203	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	220.00	...	220.00
60. मौजूदा पोलिटेक्निकों के उन्नयन/नए पोलिटेक्निकों की स्थापना हेतु राज्यों को सहायता	3601 3602 जोड़	400.00 ...	...	400.00 ...	400.00 ...	...	400.00 ...	500.00 ...	...	500.00 ...
61. नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना	2203	20.00	...	20.00	11.00	...	11.00	25.21	...	25.21
62. नए भारतीय प्रबंध संस्थानों की स्थापना	2203	20.00	...	20.00	3.00	...	3.00	25.00	...	25.00
63. पोलिटेक्निकों में महिला छात्रावास	2203	90.00	...	90.00	67.50	...	67.50	108.00	...	108.00
64. अग्रणी क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	2203	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90	9.00	...	9.00
65. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्	2203	180.00	1.00	181.00	180.00	0.30	180.30	198.00	1.00	199.00
66. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	776.00	523.90	1299.90	793.00	523.90	1316.90	810.00	507.51	1317.51
67. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास अनुसंधान पार्क	6202	...	...	...	100.00	...	100.00	...	...	...
68. राज्य इंजीनियरी संस्थाओं का विस्तार और उन्नयन	2203	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
69. भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना	2203	...	...	...	...	...	...	15.00	...	15.00
70. पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान, ईटानगर	2203	...	...	...	...	...	...	0.01	26.84	26.85
71. अन्य कार्यक्रम	2203	2.40	0.37	2.77	2.40	0.37	2.77	0.91	0.37	1.28
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>										
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास</b>										
72. पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान, ईटानगर	2552	0.01	26.00	26.01	0.01	33.00	33.01	...	...	...
<b>जोड़-तकनीकी शिक्षा</b>		<b>3524.72</b>	<b>1890.02</b>	<b>5414.74</b>	<b>3374.42</b>	<b>1986.71</b>	<b>5361.13</b>	<b>4266.03</b>	<b>1745.52</b>	<b>6011.55</b>
73. पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के फायदे वाली परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान										
73.01 विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा हेतु प्रावधान	2552	461.86	...	461.86	436.86	...	436.86	509.63	...	509.63
73.02 दूरस्थ शिक्षा हेतु प्रावधान (छात्रवर्तियों सहित)	2552	20.00	...	20.00	16.00	...	16.00	22.00	...	22.00
73.03 सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी हेतु प्रावधान	2552	90.00	...	90.00	20.00	...	20.00	90.00	...	90.00
73.04 भाषा विकास हेतु प्रावधान	2552	8.25	...	8.25	8.25	...	8.25	13.90	...	13.90
73.05 पुस्तक संवर्धन हेतु प्रावधान	2552	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30	1.40	...	1.40
73.06 योजना मानकों हेतु प्रावधान	2552	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.10	...	1.10
73.07 तकनीकी शिक्षा हेतु प्रावधान	2552	377.28	...	377.28	312.58	...	312.58	439.97	...	439.97
<b>कुल जोड़</b>		<b>9596.00</b>	<b>5833.00</b>	<b>15429.00</b>	<b>7952.00</b>	<b>6437.00</b>	<b>14389.00</b>	<b>10996.00</b>	<b>5694.00</b>	<b>16690.00</b>
<b>ग. आयोजना परिव्यय*</b>	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
<b>केन्द्रीय आयोजना</b>										
1. सामान्य शिक्षा	22202	5112.59	...	5112.59	3779.09	...	3779.09	5652.97	...	5652.97
2. तकनीकी शिक्षा	22203	3524.71	...	3524.71	3374.41	...	3374.41	4266.03	...	4266.03
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	959.70	...	959.70	796.00	...	796.00	1078.00	...	1078.00
<b>जोड़-केन्द्रीय आयोजना</b>		<b>9600.00</b>	...	<b>9600.00</b>	<b>7952.50</b>	...	<b>7952.50</b>	<b>11000.00</b>	...	<b>11000.00</b>
* इसमें शहरी विकास मंत्रालय का निर्माण-परिव्यय शामिल है।										
मांग संख्या 101		4.00	...	4.00	0.50	...	0.50	4.00	...	4.00

1. **सचिवालय:** यह व्यवस्था सचिवालय खर्च के लिए है। प्रस्तावित बजट सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की खरीदारी, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की खरीदारी, सलाहकारी शुल्क के साथ-साथ प्रशिक्षण आदि के लिए भी अपेक्षित है जो मंत्रालय के दोनों विभागों में ई-गवर्नेन्स जैसे कार्यकलापों के सुदृढीकरण के लिए भी जरूरी है।

2. **विवेकाधीन अनुदान:** विवेकाधीन अनुदान मानव संसाधन विकास मंत्री के नियंत्रण में रखा जाता है जो स्कीम के नियम के अनुसार योग्य मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

#### विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा

3. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.):** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों में स्तरों का समन्वय एवं निर्धारण करने के उद्देश्य से संसद के एक अधिनियम के द्वारा 1956 में स्थापित किया गया था। जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी योग्य विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालय संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सहायता के लिए प्रावधान अलग से बनाया जा रहा है।

4. **विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार:** विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के बावत देयता पूरी करने के लिए 250.01 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

5. **भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद:** इसकी स्थापना सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह परिषद् अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देती है, फेलोशिप प्रदान करती है, अनुसंधान के तौर-तरीकों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करती है, विदेशी विद्वानों तथा संस्थाओं के साथ अनुसंधान हेतु सहयोग करती है, अनुसंधानकर्ताओं को प्रलेखन सेवाएं प्रदान करती है, सेमिनारों तथा कार्यशालाओं के आयोजन और अनुसंधान प्रकाशन के लिए अनुदान प्रदान करती है। परिषद् अनुमोदित अनुसंधान संस्थाओं को अनुसंधान तथा विकास अनुदान भी देती है।

6. **भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् (आई सी एच आर):** इस परिषद् की स्थापना ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए सहायता देने और इतिहास के उद्देश्य एवं वैज्ञानिक अध्ययन की पूर्ति करने के लिए की गई थी। यह परिषद् अध्येतावृत्तियाँ, अनुसंधान एवं यात्रा अनुदान प्रदान करती है और शोध प्रकाशनों हेतु भी सहायता प्रदान करती है। ऐतिहासिक अनुसंधान के सुदृढीकरण हेतु परिषद् अकादमिक सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करती है।

7. **ग्रामीण विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् :** इसको हैदराबाद में केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा के सम्बन्ध में महात्मा गांधी के विचारों के आधार पर ग्रामीण उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म योजना निर्माण की चुनौतियों का सामना किया जा सके और गांधीवाद पर आधारित शिक्षा और नई तालीम के कार्यक्रमों में लगी संस्थाओं के नेटवर्क का विकास किया जा सके।

8. **भारतीय उन्नयन अध्ययन संस्थान, शिमला :** यह संस्थान चुनिन्दा विषयों जैसे मानविकी, भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म, समाज विज्ञानों तथा प्राकृतिक विज्ञानों आदि जैसे विषयों में ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए अनुसंधान और सृजनात्मक विचारों का संवर्धन करता है। संस्थान प्रत्येक वर्ष उच्च अध्ययन के लिए फेलोशिप प्रदान करता है तथा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों से सम्बन्धित ज्ञान तथा छात्रवृत्ति हेतु कार्यकलापों का आयोजन करता है।

9. **भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद्, दिल्ली :** यह परिषद् दर्शनशास्त्र तथा सम्बद्ध विषयों में अनुसंधान को बढ़ावा देती है। परिषद् द्वारा संचालित अन्य कार्यकलापों में फेलोशिप प्रदान करना, सेमिनारों, शैक्षिक सम्मेलनों का आयोजन करना, यात्रा अनुदान प्रदान करना और शिक्षा संबंधी सहायता देना, शोध परियोजनाएं प्रायोजित करना तथा इसके उद्देश्यों से संबंधित पुस्तकें प्रकाशित करना है।

10. **शास्त्री भारत कनाडा संस्थान:** इस संस्थान की स्थापना भारत तथा कनाडा की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से 1968 में की गई थी जिसका उद्देश्य मुख्यतः शिक्षण कार्यकलापों को सुसाध्य बनाते हुए दोनों देशों के बीच सूझ-बूझ को बढ़ावा देना है। दोनों सरकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौते के तहत दोनों देशों में संस्थान के कार्यकलापों का संचालन किया जा रहा है।

11. **राष्ट्रीय श्री गुरु ग्रंथ सहिब अध्ययन संस्थान:** इस योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनागत स्कीमों के साथ विलय कर दिया गया है।

12. **शिक्षा ऋण ब्याज सहायता योजना :** ऐसे छात्रों की संख्या काफी अधिक है जो संसाधनों के अभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। सरकार का प्रस्ताव ऐसे विद्यार्थियों को उनकी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने हेतु कुछ सहायता उपलब्ध कराने का है। इस योजना में व्यावसायिक शिक्षा के लिए भारतीय बैंक संघ द्वारा परिचालित शिक्षा ऋण योजना के तहत बैंकों से लिए गए ऋण पर ब्याज सहायता की एक योजना का प्रस्ताव किया जा रहा है।

13. **अधिकरणों, प्रत्यायन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना :** उच्चतर शिक्षा क्षेत्र को पुनर्संगठित करने के लिए कई सुधार संबंधी उपाय किए गए हैं। इन उपायों में अधिनिर्णायक निकायों की स्थापना करना ताकि उच्चतर शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार के मुद्दों का फास्ट-ट्रेक, त्वरित निपटान किया जा सके, इस प्रयोजनार्थ एक अनिवार्य प्रत्यायन प्रणाली तथा संस्थागत संरचना की व्यवस्था करना, उच्चतर शिक्षा में मानक निर्धारण तथा नीति निर्धारण हेतु एक सर्वसमावेशी निकाय की स्थापना करना और उच्चतर शिक्षा में निवेश तथा शैक्षिक ऋणों के पुनर्वित्तपोषण के लिए अग्रिम निधियन के प्रयोजनार्थ एक वित्तीय निकाय सृजित करना शामिल है। इन सुधारमूलक पहलों हेतु निधियन की व्यवस्था की गई है।

14. **अन्य कार्यक्रम:** इनमें भारतीय विश्वविद्यालय संघ, अखिल भारतीय महत्व की उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरों, आयकर की वापसी, भारतीय विज्ञान, दर्शन एवं संस्कृति का इतिहास परियोजना हेतु सहायता अनुदान देने का प्रावधान शामिल है।

#### दूरस्थ शिक्षा

15. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय:-** इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1985 में संसद के अधिनियम के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर सुविधाविहीन वर्गों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करना, सतत शिक्षा प्रदान करना; ज्ञान एवं कौशल का स्तरोन्नयन; महिलाओं, पिछड़े क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों आदि में रहने वाले लोगों जैसे विशिष्ट लक्षित वर्गों के लिए उच्चतर शिक्षा के विशेष कार्यक्रम शुरू करना तथा मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों की वृद्धि में सहयोग किया है तथा इग्नू के माध्यम से इन राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय सहायता का एक पृथक प्रावधान जो इग्नू के अपने कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता से पृथक है, रखा गया है।

16. **कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग :** कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की स्थापना राष्ट्रमंडलीय सरकारी अध्यक्षों द्वारा 1988 में की गई थी जिसका मुख्यालय वैंकूवर में है। इसका अधिदेश- राष्ट्रमंडल के देशों में दूरस्थ शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई क्षमता का उपयोग करते हुए, अन्य शिक्षण संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, अध्ययन के अवसरों तक पहुंच का सृजन करना तथा उनका विस्तार करना है।

17. **गैर हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति एवं अन्य छात्रवृत्तियों से संबंधित स्कीम :** हिन्दी में मैट्रिकोत्तर अध्ययन हेतु गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों से संबंधित छात्रवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन का उद्देश्य गैर हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के अध्ययन को बढ़ावा देने एवं इन राज्यों की सरकारों को शिक्षण तथा अन्य मदें, जिसके लिए हिन्दी की जानकारी आवश्यक होती है, के लिए योग्य कर्मचारी उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के तहत मैट्रिकोत्तर से स्नातकोत्तर स्तर के प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

18. **कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति:** केन्द्रीय सेक्टर के तहत कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु नई छात्रवृत्ति स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे कॉलेजों और विश्वविद्यालय प्रणाली में उच्चतर शिक्षा हेतु प्रत्येक वर्ष स्कूल पास करने वालों के कम से कम 2 प्रतिशत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाए।

#### सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

19. **आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन:** देश के मानव संसाधन से जुड़ी प्रतिभाओं के अभिनिर्धारण एवं पोषण और अध्येताओं की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने और अधिगम माड्यूलों के जरिए जीवनपर्यन्त अध्ययन हेतु एक प्रणाली विकसित करने और एक स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है। इस स्कीम में बौद्धिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग, औपचारिक अथवा अनौपचारिक पद्धति के माध्यम से अध्येताओं द्वारा प्राप्त जानकारी के प्रमाणीकरण के साथ-साथ देश के मानव संसाधन से जुड़ी क्षमताओं, योग्यताओं एवं प्रतिभा से संबंधी डाटाबेस के प्रणालीबद्ध संकलन की परिकल्पना भी की गई है।

#### भाषा विकास

20. **केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय :** केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना 1960 में एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई थी। इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद, कलकत्ता, गुवाहाटी तथा चेन्नई में स्थित हैं। इसका उद्देश्य हिन्दी भाषा का सम्पर्क भाषा के रूप में प्रचार-प्रसार एवं विकास करना और द्विभाषी/त्रिभाषी शब्दावली, 'पत्राचार पाठ्यक्रम' हिन्दी लेखकों को पुरस्कार इत्यादि की योजनाएं संचालित करना है।

21. **वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग:** इस आयोग की स्थापना अक्टूबर, 1961 में की गई थी, जिसका उद्देश्य हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों का विकास करना है। आयोग विश्वविद्यालय स्तर पर भारतीय भाषाओं को अध्ययन के माध्यम के रूप में परिवर्तित करने को सुकर बनाने के लिए हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने की स्कीम चलाता है और क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार करने के लिए राज्य स्तरीय अकादमियों के साथ भी तालमेल करता है।

22. **केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा:** 'केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल' की स्थापना 19 मार्च, 1960 को एक पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। इसके क्षेत्रीय केन्द्र दिल्ली, मैसूर, हैदराबाद, गुवाहाटी और शिलांग में स्थित हैं। यह संस्थान इन कार्यों के लिए उत्तरदायी है- किसी विशिष्ट भाषा के प्रयोग वाले क्षेत्र में हिन्दी का प्रचार-प्रसार तथा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाना और इसका शिक्षण देना, जनजातीय भाषाओं का सर्वेक्षण करना, सेवारत हिन्दी शिक्षकों को पत्राचार के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना तथा राज्य सरकार, हिन्दी के प्रचार-प्रसार से जुड़े एजेंटों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा नियुक्त शिक्षकों हेतु अल्पकालिक प्रबोधन पाठ्यक्रम चलाना। यह मंडल हिन्दी के संवर्धन के उद्देश्य से विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार सम्बन्धी स्कीम का संचालन भी करता है।

23. **राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद:** राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद ने सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्रों, पुस्तक तैयार करना और प्रकाशन स्कीम, पत्राचार पाठ्यक्रम जैसी स्कीम के माध्यम से उर्दू भाषा और अरबी तथा फारसी भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 1.4.1996 से स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करना शुरू किया है।

24. **केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान:** केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना जुलाई, 1969 में की गई थी। इसका मुख्य परिसर मैसूर में है और इसके सात क्षेत्रीय भाषा केन्द्र भुवनेश्वर, गुवाहाटी, लखनऊ, मैसूर, पटियाला, पुणे तथा सोलन में स्थित हैं। यह संस्थान भारत सरकार की भाषा नीति को विकसित/कार्यान्वित करने में सहयोग करता है और भाषा विश्लेषण, भाषा विज्ञान, भाषा तकनीक तथा समाज में भाषा प्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान आयोजित करके भारतीय भाषाओं के विकास को समन्वित करता है। यह विभिन्न भाषाओं के विद्यालय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। शहरी

विकास मंत्रालय के बजट में, निर्माण कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

25. **राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद:** राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद की स्थापना अप्रैल, 1994 में सिंधी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सिंधी साहित्य प्रकाशित करके/सेमिनार/संगोष्ठियां आयोजित करके सिंधी भाषा को विकसित, प्रोन्नत और प्रचार करने के उद्देश्य से की गई थी।

27. **केन्द्रीय प्राचीन तमिल संस्थान, चेन्नई:** इस संस्थान की स्थापना चेन्नई, तमिलनाडु में प्राचीन तमिल भाषा का परिरक्षण और विकास करने के उद्देश्य से की गई है। अवसंरचना के विकास के लिए आरंभिक आवश्यकताएं पूरी करने हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तमिल भाषा विकास की स्कीम भी इसमें शामिल हो गई है जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान किया गया है:- (i) तमिल भाषा के विशिष्ट अध्येताओं को सम्मान प्रमाणपत्र; (ii) तमिल भाषा प्रोन्नयन बोर्ड; (iii) सी.आई.आई.एल., मैसूर में तमिल भाषा विकास हेतु विशिष्टता केन्द्र; (iv) गैर तमिल क्षेत्रों में उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान करना; और (v) माध्यमिक विद्यालयों में तमिल शिक्षण तथा प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना शामिल है।

28. **राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान :** राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना 1970 में की गई थी और अब इसे एक समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है। इसकी स्थापना संस्कृत में परंपरागत अध्ययन और अनुसंधान का संरक्षण, प्रचार और आधुनिकीकरण करने तथा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों का प्रबंधन करने के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्थान द्वारा स्थापित संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां और प्रमाणपत्र प्रदान करता है और विद्वानों को उनके मूल/अनुसंधान कार्य के प्रकाशन हेतु और दुर्लभ संस्कृत पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु अनुदान प्रदान करता है। यह संस्थान, संस्कृत भाषा के विकास हेतु विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु एक नोडल एजेंसी है।

29. **राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान:** इसकी स्थापना वैदिक अध्ययन की मौखिक परम्पराओं का संरक्षण और विकास करने के लिए अगस्त, 1987 में की गई थी। यह विभिन्न कार्यक्रम और कार्यकलाप चला रहा है जिनमें वैदिक संस्थाओं और विद्वानों को सहायता, फेलोशिप देना, वेद सम्मेलन और सेमिनार आयोजित करना और प्रकाशन निकालना आदि शामिल हैं।

30. **मानवीय मूल्यों में शिक्षा:** इस योजना के अंतर्गत, स्कूल तथा शिक्षा की अनौपचारिक प्रणाली में संस्कृति तथा मूल्यों के सुदृढीकरण से संबंधित परियोजनाएं शुरू करने के लिए सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं, पंजीकृत सोसाइटियों, सार्वजनिक न्यासों और लाभ अर्जन न करने वाली कम्पनियों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

#### 31. पुस्तक प्रोन्नयन

##### i) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

भारत सरकार द्वारा 1957 में स्थापित राष्ट्रीय पुस्तक न्यास अच्छे साहित्य का सृजन करता है तथा इसके लिए प्रोत्साहन देता है और आम लोगों को सस्ती कीमत पर ऐसे साहित्य उपलब्ध कराता है। भारतीय पुस्तकों और लेखन को प्रोत्साहन और प्रकाशित करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेता है।

##### ii) बौद्धिक सम्पदा, शिक्षा, अनुसंधान एवं सार्वजनिक सुलभता स्कीम:

इस स्कीम का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालय संस्थाओं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कॉलेजों और संस्थाओं, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत भारत सरकार में पंजीकृत कॉपीराइट सोसाइटियों, कॉपीराइट/आईपीआर/डब्ल्यूटीओ मामलों से संबंधित कार्यकलापों में लगे हुए लेखकों, प्रकाशकों, कलाकारों, अभिनयकर्ताओं, फिल्म निर्माताओं, पुस्तक विक्रेताओं, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्माताओं अथवा विक्रेताओं आदि के स्वैच्छिक संगठनों (जो सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत हैं) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जिन कार्यकलापों

के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है वे इस प्रकार हैं-आईपीआर/कॉपीराइट/डब्ल्यूटीओ मामलों पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों का आयोजन, अध्येतावृत्तियों और फैलोशिप का प्रावधान, प्रबोधन और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, नोडल संस्थाओं में आईपीआर और डब्ल्यूटीओ साहित्य/सामग्री/केस अध्ययन के लिए एक निक्षेपागार की स्थापना आदि।

32. **भारतीय राष्ट्रीय आयोग/यूनेस्को** : इस प्रावधान का उपयोग यूनेस्को से संबद्ध क्रियाकलापों के लिए किया जाता है। शहरी विकास मंत्रालय के बजट में यूनेस्को हाउस के निर्माण के लिए 1.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है।

इसमें ओरोविले फाउंडेशन के लिए प्रावधान भी शामिल है जिसका भारत सरकार ने ओरोविले (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1980 के अनुसार 1980 में सीमित अवधि के लिए प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया और इसे ओरोविले प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 को हस्तांतरित कर दिया। मायसन डी इन्डे इन पैरिस को सहायता के लिए 0.10 करोड़ रुपए का सांकेतिक प्रावधान भी किया गया है।

### 33-34. आयोजना मानदंड और प्रशासन:

i). **राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय**: यह एक स्वायत्त संगठन है जिसका उद्देश्य शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन में अनुसंधान शुरू करना, उसे प्रोत्साहित करना तथा समन्वित करना, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण और परामर्शी सेवाएँ प्रदान करना, अन्य एजेन्सियों, संस्थाओं तथा संगठनों के साथ सहयोग के लिए केन्द्र तथा राज्यों के मुख्य स्तर के अधिकारियों तथा वरिष्ठ स्तर के प्रशासकों को प्रशिक्षण और प्रबोधन देना, अन्य देशों, विशेष तौर पर एशियाई क्षेत्र के देशों को राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान हेतु सहायता प्रदान करना तथा दस्तावेजों, पत्रिकाओं और पुस्तकों को तैयार करना, मुद्रित करना एवं प्रकाशित करना, अन्य देशों के साथ शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव और कुशलता का आदान-प्रदान करना तथा इन उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए तुलनात्मक अध्ययन करना है। इस संस्थान को वर्ष 2006-07 के दौरान सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है।

ii). **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग**: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग का गठन 11 नवम्बर, 2004 को किया गया था। यह आयोग (i) केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार को अल्पसंख्यकों की शिक्षा से सम्बन्धित उस मामले पर सलाह देगा जो इसे विचारार्थ भेजा जाए; (ii) अल्पसंख्यकों को अपनी पसन्द की संस्था स्थापित करने और उसे संचालित करने के अधिकारों से वंचित करने अथवा उनका उल्लंघन करने से सम्बन्धित विनिर्दिष्ट शिकायतों और अनुसूचित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन के बारे में विवाद की जांच पड़ताल करना और अपने निष्कर्ष कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार को सूचित करता है और; (iii) आयोग के किसी एक अथवा सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यथा आवश्यक संबंधित अथवा प्रासंगिक कार्य करता है।

### तकनीकी शिक्षा

35. **सामुदायिक पॉलिटेक्निक स्कीम**:- सामुदायिक पॉलिटेक्निक स्कीम भारत सरकार की प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता स्कीम के रूप में 1978-79 में शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य स्कूल छोड़ने वाले छात्रों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य लाभवंचित वर्गों को रोजगार दिलाने/स्व-रोजगार द्वारा अपने सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है।

36. **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान**: प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में खड़गपुर, मुम्बई, मद्रास, कानपुर, दिल्ली, गुवाहाटी और रूड़की में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की गई है। इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना, संगत क्षेत्र में अनुसंधान करना, तथा शिक्षा को

बढ़ावा देना और ज्ञान का प्रसार करना है।

37. **छात्रवृत्तियाँ/प्रशिक्षुता प्रशिक्षण**: क्रम संख्या 55 पर देखें।

38. **भारतीय प्रबंध संस्थान**: प्रबंधन में शैक्षिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 'उत्कृष्ट केंद्रों' के रूप में अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर और कोझीकोड में 6 भारतीय प्रबंध संस्थानों की स्थापना की थी। ये संस्थान स्नातकोत्तर कार्यक्रम, फैलोशिप कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम और संगठन आधारित कार्यक्रम चला रहे हैं। सरकार ने शिलांग (मेघालय) में भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित किया है जिसके शैक्षिक सत्र 2008-09 से प्रारंभ हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र आबंटन सहित इसमें 98 करोड़ रु. का योजनागत आबंटन किया गया है। इस आबंटन में विद्यार्थियों की बढ़ाई गई संख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ओवरसाइट कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के प्रयोजनार्थ 60 करोड़ रुपए का प्रावधान भी शामिल है।

39. **भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर**: भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की स्थापना वर्ष 1909 में की गई थी। इसका उद्देश्य इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी एवं आधारभूत विज्ञानों के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करना तथा अनुसंधान कार्य करना है। इस प्रावधान में ओवरसाइट कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के प्रयोजनार्थ 50 करोड़ रुपए का प्रावधान भी शामिल है।

40. **विकलांगों के लिए पॉलिटेक्निक**:- इस स्कीम का उद्देश्य शारीरिक रूप से विकलांग (अस्थि विकलांग, आंशिक रूप से मूक व बधिर) को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से मुख्य धारा में लाना है।

41. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर**:- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर की स्थापना व्यापक प्रबंधकीय कौशलों सहित सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की गई है। इस संस्थान को 2001 में समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। इस प्रावधान में ओवरसाइट कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के निमित्त 10 करोड़ रुपए का प्रावधान भी शामिल है।

42. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद**: सूचना प्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास हेतु भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद की स्थापना की गई। इस संस्थान को वर्ष 2001 में सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया।

43. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन तथा विनिर्माण संस्थान, जबलपुर**: सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन तथा विनिर्माण में शिक्षा, शोध करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जबलपुर में एक नया संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। संस्थान का पंजीकरण एम.पी. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन रजिस्ट्रार, सोसायटी के यहां पंजीकरण किया गया है।

44. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कांचीपुरम**: वर्ष 2007-08 के दौरान कांचीपुरम, तमिलनाडु में एक नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। नए संस्थान का शैक्षिक सत्र शैक्षिक वर्ष 2008-09 से शुरू हुआ है।

45. **राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई**: राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई की स्थापना भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से यू.एन.डी.पी. की सहायता से एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में 1963 में की गई थी। राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान को गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम केंद्र के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है।

46. **राष्ट्रीय गढ़ाई एवं ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची** : राष्ट्रीय गढ़ाई एवं ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची की स्थापना भारत सरकार द्वारा यूनेस्को-यू एन डी पी के सहयोग से वर्ष 1966 में की गई थी। इस संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य गढ़ाई, ढलाई तथा संबद्ध प्रौद्योगिकियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों का आयोजन तथा ऐसे उद्योगों को प्रौद्योगिकीय मार्गदर्शन तथा प्रलेखन सेवाएँ प्रदान करना है।

47. **योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली :** योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली ने 1942 में दिल्ली पॉलिटेक्निक के वास्तुकला विभाग के रूप में मध्यम शुरुआत की थी। बाद में इसे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध करते हुए टाउन एंड कंट्री आयोजना विद्यालय के साथ समेकित कर दिया गया था जिसकी स्थापना ग्रामीण, शहरी और क्षेत्रीय आयोजना हेतु सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा 1955 में की गई थी। वर्ष 1959 में समेकन के पश्चात् इस स्कूल को आयोजना और वास्तुकला स्कूल के रूप में पुनःनामित किया गया। संस्थान को 'मानद विश्वविद्यालय' की उपाधि दी गई।

48. **राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान:** ये संस्थान भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई एवं कोलकाता में स्थित हैं और एम.टेक. पाठ्यक्रमों के संचालन के अलावा पॉलिटेक्निकों, उद्योगों तथा समुदाय के लिए आयोजना, डिजाइनिंग, गुणवत्तामूलक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान अध्ययन तथा शैक्षणिक पैकेज आयोजित करने के कार्य में लगे हैं।

49. **संत लोंगोवाल इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल:** संत लोंगोवाल इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना वर्ष 1989 में की गई। यह संस्थान इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के साथ-साथ व्यावहारिक विज्ञान विषयों में कुशल जनशक्ति के सृजन हेतु एक मॉडल संस्था के रूप में कार्य करता है।

50. **भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद:** भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद की स्थापना खनन उद्योग को प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करने हेतु वर्ष 1926 में की गई। वर्ष 1967 में भारतीय खनन विद्यालय को केन्द्र सरकार के अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में परिणत किया गया तथा उसे समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद प्रबंध, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी, पर्यावरणीय विज्ञान और इंजीनियरी, कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी, यांत्रिकी इंजीनियरी, व्यावहारिक विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञानों के संबद्ध क्षेत्रों में जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के अलावा खनन, पेट्रोलियम, खनन यांत्रिकी, खनन इंजीनियरी और पृथ्वी-विज्ञानों के क्षेत्रों में मानव संसाधन की राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करता है।

51. **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड :** प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम का कार्यान्वयन 'प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961' के तहत एक वैधानिक आवश्यकता है। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम औद्योगिक स्थापनाओं/संगठनों में स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा धारकों (तकनीशियनों) और 10+2 स्तर पर व्यावसायान्मुख पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों को प्रायोगिक प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करती है।

प्रशिक्षण अधिनियम, 1961 के अधीन राष्ट्रीय प्रशिक्षु योजना चेन्नई, कानपुर, कोलकाता तथा मुम्बई में स्थित चार क्षेत्रीय प्रशिक्षुता/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

52. **भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम:** यह विश्व बैंक से वित्तपोषित परियोजना है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत मुख्य कार्यक्रमलाप निम्नलिखित है-(I) शैक्षणिक उत्कृष्टता का विकास (II) इंजीनियरी संस्थाओं की नेट वर्किंग (III) विकासशील प्रबंधन क्षमता। इसके केंद्रीय सेक्टर के अन्तर्गत 18 संस्थानों को सहायता प्रदान की जाती है।

इस कार्यक्रम का प्रथम चरण का कार्यक्रम 2008 में समाप्त हो गया और स्कीम का दूसरा चरण अप्रैल 2010 में शुरू होना है। इस स्कीम के तहत लागत पूरी करने के लिए 220 करोड़ रुपए का अनंतिम सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

53. **केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार:** केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार, असम केन्द्र द्वारा वित्तपोषित संस्थान है। यह संस्थान डिप्लोमा स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करेगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी करेगा। संस्थान के विभिन्न योजनागत क्रियाकलापों के लिए पूर्वोत्तर प्रावधान सहित 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों हेतु प्रावधान शामिल है।

54. **नवीन भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान:** सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों की मांग को देखते हुए, और अधिक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कुछ सार्वजनिक निजी सहभागिता के तहत स्थापित किए जाएंगे।

55. **आयोजना एवं वास्तुकला के नए स्कूल:** आयोजना एवं वास्तुकला स्कूल को देश और विश्व में मानव आवासों के डिजाइन तथा विकास के सभी पहलुओं में विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों में एक प्रमुख संस्थान के रूप में माना जाता है। इसे तथा इसके साथ-साथ और अधिक वास्तुविदों को प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता को देखते हुए, 2 और योजना तथा वास्तुकला स्कूलों, भोपाल (मध्य प्रदेश) और विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश) की स्थापना की गई है। उन्होंने वर्ष 2008-09 से अपने शैक्षिक कार्यक्रमलाप शुरू कर दिए हैं।

56. **इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय:** इस योजना के अन्तर्गत मंत्रालय सभी आई.आई.टी. और आई.आई.एस.सी., बंगलौर को और लगभग 64 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेजों और संस्थाओं सहित केंद्रीय वित्तपोषित सरकारी संस्थानों को पूर्ण पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक संसाधन और ग्रंथ विज्ञान डाटाबेस हेतु पहुँच प्रदान करने के लिए अपेक्षित निधियाँ प्रदान करता है। भागीदारी संस्थाएं ए.आई.सी.टी.ई. की सहायता से चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की ओर पहुँच पा रहे हैं।

57. **नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना:** (जबकि नए तीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना) इंजीनियरिंग क्षेत्र में व्यावसायिकों की मांग को देखते हुए आठ नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का अनुमोदन किया गया है जिनमें से छः अर्थात् हैदराबाद, भुवनेश्वर, गांधीनगर, पटना में आईआईटी, राजस्थान और पंजाब के लिए आईआईटी ने अपना अकादमी सत्र 2008-09 से आरंभ कर दिया है। बाकी दो आईआईटी इंदौर (मध्य प्रदेश) और मंडी (हिमाचल प्रदेश) में 2009-10 में अकादमी सत्र आरंभ होने की संभावना है।

58. **भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान:** देश में विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, पुणे, कोलकाता, मोहाली, त्रिवेन्द्रम तथा भोपाल में समेकित स्नातकपूर्व शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा और इसी के तहत अनुसंधान के उद्देश्य से स्थापना की गई है।

59-60. **मौजूदा पालिटेक्निकों का उन्नयन/नए पालिटेक्निकों की स्थापना:** XIवीं योजना अवधि में मौजूदा पालिटेक्निकों की बुनियादी सुविधाओं का संवर्द्धन करने और जहां कोई पालिटेक्निक नहीं है, में नए पालिटेक्निकों की स्थापना करने की एक नई योजना अनुमोदित की गई है।

61. **नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना:** इंजीनियरी पेशेवरों की मांग को ध्यान में रखते हुए, नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। स्थापना के पश्चात् इन संस्थानों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 के अधीन 'राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं' के रूप में शामिल कर लिया जाएगा।

62. **नए भारतीय प्रबंध संस्थानों की स्थापना:** 'उत्कृष्टता केन्द्र' के रूप में नए भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। ये संस्थान स्नातकोत्तर कार्यक्रम, फेलोशिप कार्यक्रम, प्रबंध विकास कार्यक्रम और संगठन आधारित कार्यक्रम संचालित करेंगे।

63. **पोलिटेक्निक में महिला छात्रावास:** पालिटेक्निक शिक्षा में महिला भागीदारी को बढ़ाने के लिए वर्तमान पालिटेक्निकों में महिला छात्रावास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए एक स्कीम शुरू की गई है।

64. **महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान:** बायोटेक्नोलॉजी, बायोइंफॉर्मेटिक्स, नैनो मेटिरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, मेकाट्रॉनिक्स, हायर परफॉर्मंस कम्प्यूटिंग इंजीनियरी/इंडस्ट्रियल डिजाइन, प्रोफेशनल/बिजीनेस एथिक्स और

सॉफ्ट लाईफ स्किल्स ट्रेनिंग एंड डेवलेपमेंट सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उच्च प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु 50 उत्कृष्ट केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

65. **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद:** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली की स्थापना एक सलाहकार निकाय के रूप में वर्ष 1945 में की गई थी। 1987 में एक संसदीय अधिनियम द्वारा इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया जो 28 मार्च, 1988 से लागू हुआ। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्यों में पूरे देश में तकनीकी शिक्षा का योजनागत और समन्वित विकास करना, योजनागत मात्रात्मक संवृद्धि की तुलना में गुणवत्तामूलक सुधार को बढ़ावा देना तथा तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानकों और स्तरों को बनाए रखना शामिल है।

66. **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान:** राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान को 2007 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के मुख्य कार्यों में पूरे देश में तकनीकी शिक्षा का योजनागत और समन्वित विकास करना, योजनागत मात्रात्मक संवृद्धि की तुलना में गुणवत्तामूलक सुधार को बढ़ावा देना, तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानकों और मानदंडों का विनियमन एवं उचित अनुसंधान करना है।

67. **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास अनुसंधान पार्क:** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास शोध पार्क, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत स्थापित

एक कम्पनी है, जो वर्ष 2009-10 के दौरान 100.00 करोड़ रु. की राशि ऋण के रूप में प्रदान की जानी है। वर्ष 2010-11 में इसके लिए कोई बजट प्रावधान नहीं है।

68. **राज्य इंजीनियरी संस्थाओं का विस्तार और स्तरोन्नयन:** राज्य इंजीनियरी संस्थाओं के स्तरोन्नयन के लिए 1.00 करोड़ रु. का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

69. **भारतीय इंजीनियरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना:** एक राज्य विश्वविद्यालय, नामतः बंगाल इंजीनियरी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर को केन्द्र सरकार के तहत एक संस्थान, नामतः भारतीय इंजीनियरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है।

71. **अन्य कार्यक्रम:** इसमें एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक के लिए प्रावधान शामिल है जिसकी स्थापना 1959 में 'एसईएटीओ ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरी के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य एसईएटीओ सदस्य राज्यों की प्रोन्नत तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करना है।

72. **पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर:** पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर की स्थापना, 1986 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी तथा इसके साथ-साथ प्रायोगिक विज्ञान में कुशल जनशक्ति सृजित करने के लिए की गई थी।